



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर एक्ट के अभियोगों में वांछित बीस हजार रूपये का एक व पंद्रह-पंद्रह हजार के तीन इनामिया सहित कुल चार अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.07.21

पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अवैध शराब निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री एवम् चोरी/नकबजनी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व दक्षिणी के निकट पर्यवेक्षण में थाना सिधौली, रामपुरकलां, लहरपुर की पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों से वांछित कुल चार इनामिया अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अवैध शराब निष्कर्षण/विक्रय/परिवहन एवम् चोरी/नकबजनी जैसे अपराध कारित करते हैं। जिनकी शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्तों पर इनाम घोषित किया गया था। थानावार विवरण निम्न है-

थाना सिधौली- क्षेत्राधिकारी सिधौली के कुशल नेतृत्व में थाना सिधौली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 155/21 धारा 2/3(1) में वांछित 20,000/- रूपये के इनामिया अभियुक्त सोनी पुत्र धर्मेन्द्र निवासी भण्डिया थाना सिधौली जनपद सीतापुर को महमूदाबाद चौराहा के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त शांतिर अपराधी हैं जो अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु के चोरी/नकबजनी जैसे अपराध कारित करता है। अभियुक्त करीब तीन माह से वांछित चल रहा था। जिसकी शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त पर 20,000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता- सोनी पुत्र धर्मेन्द्र निवासी भण्डिया थाना सिधौली जनपद सीतापुर

पुलिस टीम थाना सिधौली -

1. उ0नि0 श्री श्रवण कुमार
2. का0 धर्मेन्द्र

3. का0 सुशील
4. का0 सोनू

अभियुक्त सोनी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 324/19 धारा 457/380/411/413 भादवि थाना सिधौली सीतापुर
2. मु0अ0सं0 155/2021 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधौली सीतापुर

थाना लहरपुर- क्षेत्राधिकारी लहरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 231/2021 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना लहरपुर सीतापुर में वांछित पंद्रह-पंद्रह हजार रूपये के दो इनामिया अभियुक्तो 1-कमलेश 2-खगेश्वर उर्फ खगेश्वर को सूरज कुण्ड मन्दिर तिराहा के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण शांतिर अपराधी हैं जो अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अवैध शराब निष्कर्षण/विक्रय/परिवहन के अपराध कारित करते हैं। अभियुक्तगण करीब एक माह से वांछित चल रहे थे। जिनकी शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्तो पर पंद्रह-पंद्रह हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्तो द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान माननीय न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम/पता-

1. कमलेश पुत्र खगेश्वर उर्फ खगेश्वर रैदास नि0 फत्तेपुरवा म0 रिखौना थाना तालगांव सीतापुर
2. खगेश्वर उर्फ खगेश्वर पुत्र बाबू रैदास नि0 फत्तेपुरवा म0 रिखौना थाना तालगांव सीतापुर

पुलिस टीम थाना लहरपुर-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री पवन कुमार मिश्र
3. का0 दशरथ कुमार
4. का0 युसुफ अली

अभियुक्त कमलेश का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 82/19 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना तालगांव सीतापुर
2. मु0अ0सं0 42/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना तालगांव सीतापुर
3. मु0अ0सं0 05/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना तालगांव सीतापुर

4. मु0अ0सं0 231/2021 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना लहरपुर सीतापुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त खगेश्वर उर्फ खगेश्वर-

1. मु0अ0सं0 82/19 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना तालगांव सीतापुर
2. मु0अ0सं0 401/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना तालगांव सीतापुर
3. मु0अ0सं0 67/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना तालगांव सीतापुर
4. मु0अ0सं0 231/2021 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना लहरपुर सीतापुर

थाना रामपुरकलां- क्षेत्राधिकारी सिधौली के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुरकलां पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 176/2021 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना रामपुरकलां सीतापुर में वांछित 15,000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त सर्वजीत बटील उर्फ सर्वजीत पुत्र छोटेलाल निवासी मोहाला थाना सदरपुर जनपद सीतापुर को ग्राम सरैया के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त शांतिर अपराधी हैं जो अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु के चोरी/नकबजनी जैसे अपराध कारित करता है। अभियुक्त करीब एक माह से वांछित चल रहा था। जिसकी शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त पर 15,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता- सर्वजीत बटील उर्फ सर्वजीत पुत्र छोटेलाल निवासी मोहाला थाना सदरपुर जनपद सीतापुर

पुलिस टीम थाना रामपुरकलां-

1. थानाध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार
2. का0 सौरभ काकरान
3. रि0 का0 पंकज कुमार

अभियुक्त सर्वजीत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 337/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना रामपुर कलां सीतापुर
2. मु0अ0सं0 340/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना रामपुर कलां सीतापुर
3. मु0अ0सं0 176/2021 धारा 2/3 यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना रामपुरकलां सीतापुर

ps sidhaulti

